प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 फरवरी 2026

तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि– दिसंबर 2025

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों[1] के पास जमाराशि संबंधी तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2 – दिसंबर 2025[2]' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस पोर्टल[3] (https://data.rbi.org.in Homepage > Publications) पर जारी किया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर, 'आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ' (बीएसआर) - 2 में, जमाराशि के प्रकार (चालू, बचत और मियादी), इसके संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, व्यक्तियों से संबंधित जमाराशियों के आयु-वार वितरण, परिपक्वता पैटर्न, आकार और मीयादी जमाराशियों के ब्याज दर सीमा-वार वितरण के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या पर त्रैमासिक शाखा-वार आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़े अलग-अलग स्तर अर्थात, जनसंख्या समूह[4],बैंक समूह, राज्य, जिले और केंद्र, पर जारी किए जाते हैं।

मुख्य बातें :

- दिसंबर 2025 के अंत तक एससीबी की जमाराशियों में 10.5 प्रतिशत की संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई, जबकि एक वर्ष पहले यह 11.0 प्रतिशत तथा एक तिमाही पूर्व 9.9 प्रतिशत थी (चार्ट I)।

---

[1] दिसंबर 2025 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत एकत्रित) के आधार पर बैंक जमाराशि संबंधी समग्र डेटा हमारी वेबसाइट (https://rbi.org.in/ होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े> पाक्षिक>भारत में अनुसूचित बैंक की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किया गया है।

[2] बीएसआर-2 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। इन आंकड़ों में 1 जुलाई 2023 से एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

[3] सितंबर 2025 के अंत की स्थिति को शामिल करते हुए, शृंखला में पिछले जारी आंकड़े, 28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे।

[4] बीएसआर के लिए उपयोग किया जाने वाला जनसंख्या समूह मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार संबंधित राजस्व केंद्र, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं, की जनसंख्या के आकार पर आधारित है और इन्हें ए) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), बी) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या), सी) 'शहरी' (1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या), डी) 'मेट्रोपॉलिटन' (10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

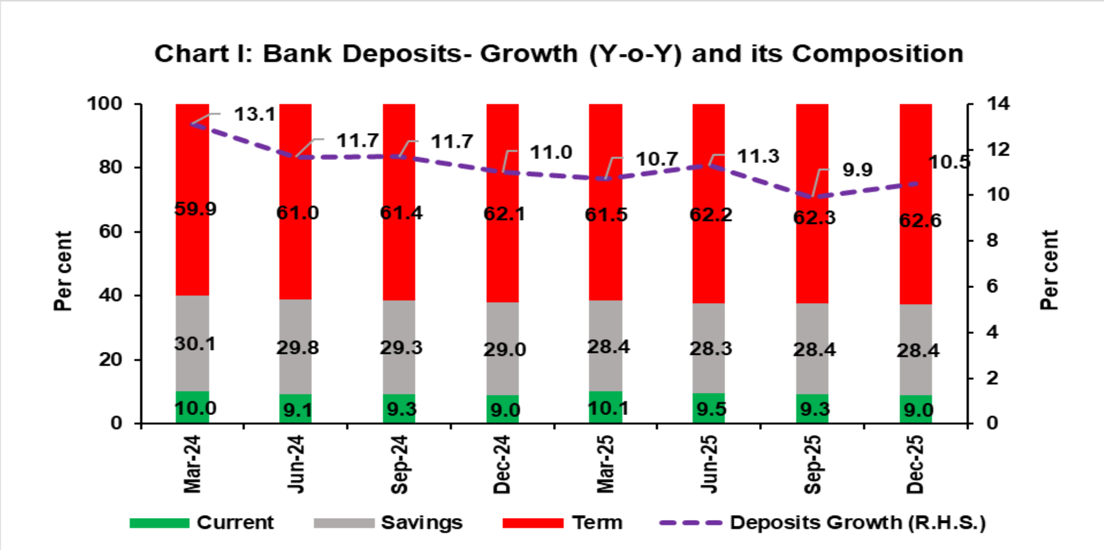

- महानगरीय शाखाओं को छोड़कर, सभी जनसंख्या समूहों में शाखाओं ने एक वर्ष पूर्व की तुलना में, दिसंबर 2025 में जमा वृद्धि में बढ़त हासिल की।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जमा वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) पिछले वर्ष के 9.1 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2025 में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो गई, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए इसी अवधि के दौरान 2.1 प्रतिशत अंक कम होकर दिसंबर 2025 में यह 11.3 प्रतिशत हो गई।

- मीयादी जमा, जो कि जमा संचयन का मुख्य चालक है, में दिसंबर 2025 में 11.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर्ज की गई जो चालू जमाराशियों (11.1 प्रतिशत) और बचत जमाराशियों (8.3 प्रतिशत) की वृद्धि से अधिक थी।

- दिसंबर 2025 के अंत में जमाराशियों के 60.1 प्रतिशत हिस्से के साथ घरेलू क्षेत्र सबसे बड़ा अंशदाता रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों अर्थात् अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में हुए कुल परिवर्तन का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा घरेलू क्षेत्र का था।

- दिसंबर 2025 में कुल एससीबी जमाराशियों में महिला जमाकर्ताओं का अंशदान एक वर्ष पूर्व के 20.6 प्रतिशत की तुलना में 20.8 प्रतिशत तक बढ़ गया।

- वरिष्ठ नागरिकों द्वारा धारित जमाराशियों का हिस्सा दिसंबर 2025 में एक वर्ष पहले के 20.2 प्रतिशत से बढ़कर 20.7 प्रतिशत हो गया।

- दिसंबर 2025 तक लगभग 70.5 प्रतिशत मीयादी जमाराशियों की मूल परिपक्वता एक से तीन वर्ष थी जबकि इन मीयादी जमाराशियों का 19.5 प्रतिशत हिस्सा, एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली अल्पावधि मीयादी जमाराशियों का था।

- मौद्रिक नीति दरों में गिरावट के संचारण प्रभाव स्पष्ट थे क्योंकि '7 प्रतिशत से कम' की ब्याज दर प्रदान करने वाली मीयादी जमाराशियों की हिस्सेदारी, एक वर्ष पहले के 29.2 प्रतिशत से बढ़कर, दिसंबर 2025 में 56.3 प्रतिशत हो गई थी (चार्ट II)।

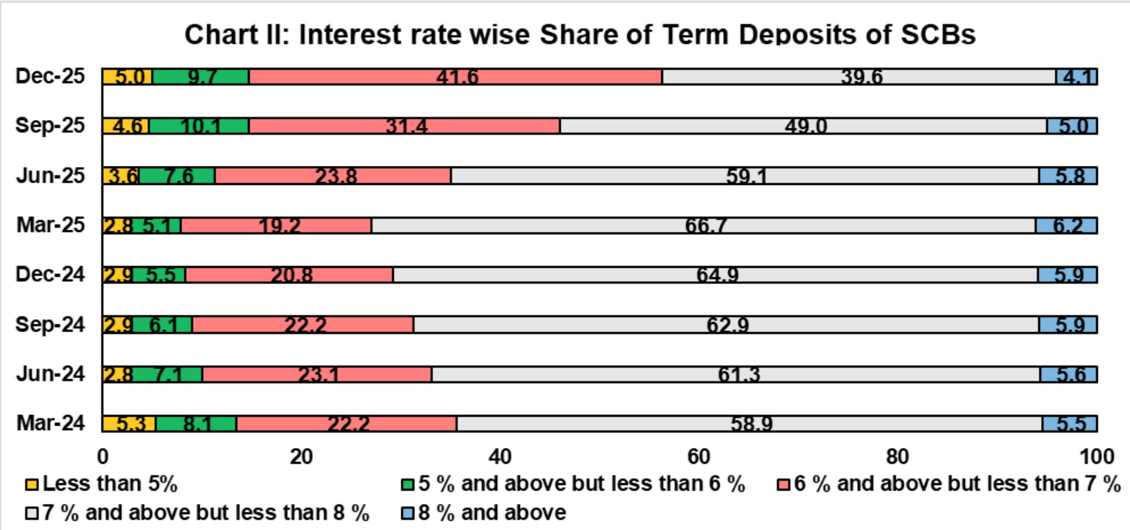

- '₹1 करोड़ और उससे अधिक' आकार की मीयादी जमाराशियों का हिस्सा दिसंबर 2025 में बढ़कर 45.8 प्रतिशत हो गया (एक वर्ष पहले 45.5 प्रतिशत)।

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/ 2186